विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999

मध्यप्रदेश शासन
विमानन विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी, 2000

क्रमांक एफ 9–22–98–पैंतालीस.–राज्य शासन, विशिष्ट महानुभावों की उडान हेतु विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर लेने संबंधी निम्नानुसार नियम बनाता है :–

1. नाम एवं उददेश्य :

ये नियम मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर लेने संबंधी नियम, 1999 कहलायेंगे. इन नियमों का उददेश्य राज्य शासन की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विमान/हेलीकॉप्टर के किराये पर लेने की कार्यवाही विनियमित करना है.

2. किराये पर लेने की परिस्थितियां :

मध्यप्रदेश शासन सामान्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर कोई हेलीकॉप्टर अथवा विमान किराये पर नहीं लेगा :–

1. जब मध्यप्रदेश शासन के अपने विमान अथवा हेलीकॉप्टर उड़ान योग्य स्थिति में नहीं हों.

2. जब दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे/उबड़–खाबड़ क्षेत्रों में शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर ले जाया जाना उपयुक्त न हो.

3. जब मध्यप्रदेश शासन का विमान अथवा हेलीकॉप्टर आगामी 6 घंटे के पूर्व, राज्य शासन को उपलब्ध न हो सकता हो अथवा वो अन्यथा किसी उड़ान में संलग्न है.

4. जब शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के लिये सक्षम व्यक्ति जो मध्यप्रदेश शासन के विमान उपयोग तथा नियंत्रण संबंधी नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत है, की प्रशासकीय आवश्यकता, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो.

3. किराये पर लेने की प्रक्रिया :

1. विमान अथवा हेलीकॉप्टर किराये पर प्राप्त करने के लिये संचालक विमानन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अखिल भारतीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त की जायेंगी. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करने के लिये जारी की जाने वाली विज्ञाप्ति में राज्य शासन की संभावित आवश्यकता, उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधायें एवं राज्य शासन की आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेंगा.

2. संचालक विमानन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त करने के उपरांत प्रस्तावों का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

1.	संचालक विमानन	अध्यक्ष
2.	सीनियर पायलट विमान/हेलीकॉप्टर	सदस्य
3.	विमानन संचालनालय के प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी	सदस्य

3. शासन प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में यदि आवश्यक समझेगा तो प्रस्तावक से शर्तों/दर इत्यादि के बारे में चर्चा कर संशोधन कर सकेगा.

4. संचालक, विमानन, समिति के कार्यवाही विवरण के साथ अपना प्रस्ताव राज्य शासन के अनुमोदनार्थ आवश्यक विवरण के साथ भेजेंगे. ऐसे विवरण में कम से कम दो प्रस्तावकों की जानकारी को, प्राथमिकताक्रम में दिया जायेंगा, जिनसे राज्य शासन, आवश्यकता पड़ने पर विमान/हेलीकॉप्टर को किराये पर ले सकेगा. समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य शासन हेलीकॉप्टर एवं विमान को किराये पर लिये जाने के संचालक के प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा तथा उस आगामी वर्ष में कभी भी राज्य शासन अपनी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विमान अथवा हेलीकॉप्टर उन शर्तों पर लेने के लिये संचालक को अधिकृत कर सकेगा, जो ऐसे आदेश में स्पष्ट रूप से लेखबद्ध की जायेगी.

5. संचालक राज्य शासन द्वारा अनुमोदित सूची में प्रथमतः उस प्रस्तावक से विमान अथवा हेलीकॉप्टर किराये पर लेगा जो राज्य शासन के सर्वाधिक अनुकूल है । यदि उक्त प्रस्तावक से विमान अथवा हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो पाना संभव नहीं है तो संचालक दूसरे प्रस्तावक से हेलीकॉप्टर अथवा विमान किराये पर ले सकेगा । यदि उक्त दोनों प्रस्तावों से आवश्यकता पड़ने पर विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर उपलब्ध नहीं होता है तो इन्हीं निर्धारित शतों एवं दरों पर राज्य शासन अन्य संस्था से विमान/हेलीकॉप्टर किराये पर लेने के लिए संचालक को निर्देश दे सकेगा ।

6. विमान अथवा हेलीकॉप्टर बिना विभागीय मंत्री की पूर्वानुमति के किराये पर नहीं लिया जायेगा । यदि किसी कारण से पूर्वानुमति लिया जाना संभव न हो समिति ऐसे कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पूर्वानुमति देने के लिए सक्षम होंगे और इस पर कार्योत्तर अनुमोदन विभागीय मंत्री से प्राप्त किया जायेगा ।

7. निजी विमान/हेलीकॉप्टर मान. मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण के अलावा अन्य किसी महानुभाव की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संचालक के माध्यम से किराये पर

लिया जाता है तो ऐसी उड़ान पर हुए व्यय का भुगतान संबंधित महानुभाव के सचिवालय/विभाग द्वारा किया जायेगा ।

4.अभिलेख संधारण :

1. संचालक विमानन द्वारा विमान अथवा हेलीकॉप्टर को किराये पर लेने के लिये अलग–अलग पंजियॉ संधारित की जायेंगी जिनमें हेलीकॉप्टर/विमान किराये पर लेने का दिनांक, उड़ान घंटे, यात्रा का स्थान, यात्रा का उद्देश्य, यात्रा करने वाले यात्रियों का नाम/पदनाम,देयक की राशि भुगतान की गई राशि इत्यादि विवरण होंगे ।

2. संचालक विमानन,राज्य शासन,महानिदेशक नागरिक विमानन,भारत शासन एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पंजियॉ एवं अन्य लेख रखने के लिए सक्षम एवं उत्तरदायी होंगे

3. इस विषय में संधारित पंजियों का समय–समय पर निरीक्षण राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा ।

5. भुगतान :

रूपये 2.00 लाख तक के किराया देयकों की स्वीकृति एवं भुगतान संचालक विमानन द्वारा किया जायेगा तथा रूपये 2.00 लाख से अधिक के भुगतान राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत संचालक द्वारा किया जायेगा

निर्वचन : यदि उपरोक्त नियम के अनुगमन में कोई कठिनाई है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा

ये नियम 1 जनवरी,2000 से प्रभावशील होंगे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(आर.एन.बैरवा)
सचिव,म.प्र.शासन
विमानन विभाग